18/4/17 वादी / प्रार्थीगण उप। अदम पैरवी [illegible] प्रार्थी [illegible] दर्ज दि० 18/4/17 को [illegible]

सहायक कलेक्टर
(प्रथम श्रेणी [illegible])

18/4/17 पत्रावली पेश हुई [illegible] उपस्थित
[illegible] हाजिर/गैरहाजिर है।
[illegible] 25/4/17 को पेश है

17/6/17 - आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। वादी उपस्थित/प्रतिवादी के [illegible] पेश हुई। वादी प्रतिवादीगण द्वारा सुलह किया जाना स्वीकार किया। वादी प्रतिवादीगण की सुलह को [illegible] किया। [illegible] गया है पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद सुलह वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। [illegible] निर्णय के [illegible] जारी [illegible] पत्रावली हो। [illegible] डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(प्रथम श्रेणी, [illegible])

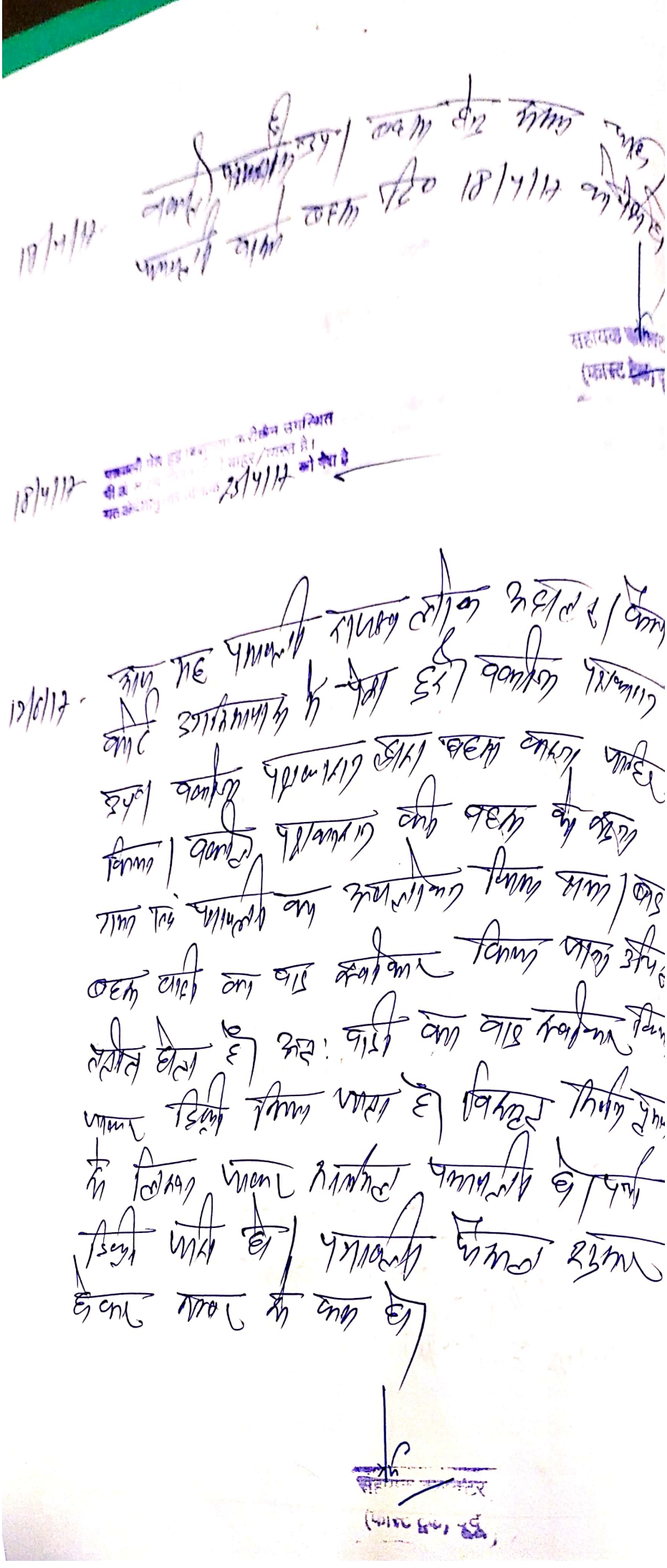

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री त्रिलोक चन्द मीना, आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 190/2016

वाद दायरी दिनांक : 20/12/2016

निर्णय दिनांक : 12/06/2017

सुजाराम पुत्र स्व0 रामनाथ व्यस्क जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

—— वादी

बनाम

1. देवीनारायण पुत्र स्व0 मांगू व्यस्क जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
2. भागचन्द पुत्र स्व0 मांगू व्यस्क जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
3. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

—— प्रतिवादीगण

वाद घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955)

उपस्थिति — ***श्री पन्नालाल चौधरी***
विद्वान अधिवक्ता वादी

श्री बलवन्त सिंह चौधरी
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 12/06/17

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद बाबत इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि हाल आॅराजी खसरा नम्बर 621 लगायत 628 कुल 8 रकबा 1.8300 है0 व साबिक आराजी खसरा नम्बर 299/1 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है जो वादी प्रतिवादीगण 1व 2 की मौरूसी मुश्तर्का सम्पति है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण 1,2 का 1/2 हिस्सा है

Scanned by CamScanner

अर्थात वर्तमान दर्ज हिस्से में वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण 1,2 का 1/4 हिस्सा है। वादी व प्रतिवादीगण 1, 2 संयुक्त रूप से मौके पर काबिज काश्त है तथा वादी अपने हिस्से का लगान प्रतिवादीगण 1,2 के मार्फत जमा कराता आ रहा है। उपरोक्त सजरा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण 1,2 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है तथा स्व0 रामनाथ के उत्तराधिकारी है। विवादित आराजी की 1/2 हिस्से की पर्चा खातेदारी वरवक्त पर्चा सैटलमेन्ट सम्वत 2011 में वादी के पिता व प्रतिवादीगयण 1,2 के दादा स्व0 रामनाथ पुत्र गोपाल जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर के नाम आया था जिस पर स्व0 रामनाथ जीवित रहकर काश्त करता करता रहा तथा स्व0 मांगू के साथ संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त करता रहा तथा स्व0 रामनाथ के स्वर्गवास के बाद से लेकर आज तक स्व0 मांगू, वादी प्रतिवादीगण 1,2 विवादित आराजी 1/2 पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। स्व0 रामनाथ का सन् 1973 में स्वर्गवास हो गया जिसका सम्पूर्ण धार्मिक किया कम चाल चलावा वादी व स्व0 मांगू दोनो भाईयों ने संयुक्त रूप से किया तथा संयुक्त परिवार में ही रह रहे थे तथा स्व0 मांगू परिवार का मुखिया कर्ता खानदान था इसलिये बिना इल्म व जानकारी के स्व0 रामनाथ का विरासत का नामान्तकरण अकेले अपने नाम करवाकर विवादित आराजी 1/2 हिस्से की खातेदारी अपने नाम लगवाली जो कतई गलत है। विवादित आराजी पर शुरू से लेकर आज तक स्व0 रामनाथ, स्व0 मांगू वादी व प्रतिवादगण 1 व 2 संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है इसलिये वादी को कतई आंशका नही थी कि विवादित आराजी का विरासत का नामान्तकरण अकेले स्व0 मांगू ने खुलवा लिया हो तथा स्व0 मांगू के स्वर्गवास के बाद प्रतिवादीगण 1,2 ने अपने नाम नामान्तकरण खुलवाकर खातेदारी लगवा ली हो। वादी ने दिनांक 29/11/2016 को अपने 1/4 हिस्से की आराजी पर के सी सी बनवाने के लिये हल्का पटवारी से जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो वादी को प्रथम बार जानकारी हुय कि विवादित आराजी में से 1/4 हिस्से की खातेदारी उसके नाम नही लगकर स्व0 मांगू व प्रतिवादी संख्या 1,2 के नाम से है इस पर वादी ने अन्य कागजात की नकलें प्राप्त कर प्रतिवादीगण 1,2 को दिनांक 14/12/2016 को विवादित आराजी में से उसका 1/2 हिस्सा नाम लगवाने को कहा तो प्रतिवादीगण 1, 3 वादी को हिस्सा लगाने से इन्कार हो गए तथा वादी को बेदखल करने की ऐलानियां धमकी दी इसलिये यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण 1, 2 प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

Scanned by CamScanner

वादी ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावें कि दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण 1, 2 डिक्री फरमाया जाकर इस्तकरार हक इस अमर का सादिर घोषित फरमाया जावें कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 621 लगायत 628 वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में प्रतिवादीगण के 1/2 के नाम दर्ज हिस्से में वादी 1/2 हिस्से का अर्थात वादी 1/4 हिस्से प्रतिवादीगण 1, 2 1/4 के खातेदार काश्तकार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 08/02/2017 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री बलवन्त सिंह चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा व इकबालिया जवाबदावा पेश किया ,जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 22/02/2017 को वादी की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू 1 सुजाराम, पी. डब्ल्यू 2 हनुमानसहाय के शपथ–पत्र पेश हुये, जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रस्तुत शपथ–पत्रों पर बयान लिये गये। वकील वादी ओर साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पैरोकार ने उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाबदावा, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात सत्य प्रतिलिपी जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 खाता संख्या 35, सत्य प्रतिलिपी मिलान क्षैत्रफल, सत्य प्रतिलिपी खतौनी बन्दोबस्त संख्या 23 सम्वत 2011 से 2029, सत्य प्रतिलिपी नामान्तरकरण संख्या 47 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मिलान क्षैत्रफल से साबिक नम्बरान से हाल नम्बरान बनना पाये जाते हैं। मुताबिक पर्चा सैटलमेन्ट सम्वत 2011 के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात का पर्चा रामनाथ व लालू पि. गोपाल कौम गुर्जर के नाम से जारी होना पाया जाता है, रामनाथ के नाम से हिस्सा 1/2 का जारी हुआ है, जो कि वादी के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के दादा हैं, चूंकि विवादित आराजीयात का पर्चा वादी के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के दादा के नाम से जारी हुआ है, इसलिये हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार के उसकी मृत्यु के पश्चात विवादित आराजीयात का नामान्तरकरण उसके दोनो पुत्र अर्थात वादी सुजाराम एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 मांगू के नाम से बराबर–बराबर हिस्से का खुलना चाहिये

Scanned by CamScanner

था लेकिन स्व0 रामनाथ की फौती पर आराजीयात अकेले प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता स्व0 मांगू के नाम से ही नामान्तरकरण संख्या 47 दर्ज होना पाया जाता है, जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत वादी एवं स्व0 मांगू के नाम से कानूनन बराबर–बराबर दर्ज होनी चाहिये थी। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गवाहान एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से मौके पर विवादित आराजीयात पर वादी 1/2 हिस्से पर एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त होना साबित होता है, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने इकबालिया जवाबदावा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया हैं। साक्ष्य गवाहान से भी वादी के वाद की ताईद होती हैं। चूंकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादग्रस्त आराजीयात पैतृक एवं मौरूसी मुश्तर्का आराजीयात होना साबित होता है, इसलिये कानूनन वादग्रस्त आराजीयात में स्व0 रामनाथ के दोनों वारिसान का हक व हिस्सा जन्मजात निहित होने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की कानूनी आपत्ति प्रतीत नही होती हैं।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 621 लगायत 628 कुल किता 08 कुल रकबा 1.8300 हैक्टेयर वाके ग्राम गोपालपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के दर्ज हिस्से में वादी को 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12/06/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 31:42

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

1. न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) दूदू, जिला जयपुर (राज.)
श्री मिलाप चन्द मीना, आर.ए.एस.
पुत्र स्व. रामनाथ जाति ... बनाम 1. देवीसहाय 2. ... पुत्रान स्व. मोतर
नि. गोपालपुरा दावा बाबत घोषणा व स्था. निषे. जाति गुर्जर नि. गोपालपुरा

मुकदमा न. 190/2016

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री पन्नालाल चौधरी एड०
मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री बलवन्त सिंह चौधरी एड०
मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर ... वाके ग्राम ... खतौनी 628 कुल किता 08 कुल रकबा 2.8300 हैक्टेयर वाके ग्राम ... तह. मौजमाबाद जिला जयपुर में प्रतिवादी क्र. 1 व 2 का दर्ज ... में वादी का 1/2 हिस्सा का एवं प्रतिवादी क्र. 1 व 2 का ... हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

मुतालिबा ... फीसदी ...ना आज की तारीख से
...दमें के मय सूद वगैरह
...गी तक ... का अदा करें।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 06 सन 2017 को

दस्तखत सहायक कलेक्टर
ओहदा (फास्ट ट्रैक)
दूदू

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
...त नामा			स्टाम्प अर्जी		
सबूत			महन्ताना वकील		
...ल			खर्चा गवाहान		
...न			फीस कमिश्नर		
...नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
...य हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीज़ान			मीज़ान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner